

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 48/2015

संस्थित दिनांक-25.03.2010

फाईलिंग नंबर-230303004102010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. महावीरसिंह भदौरिया पुत्र भारतसिंह भदौरिया
उम्र 43 साल निवासी खेरिया हाल गोरमी
थाना गोरमी
2. कृपालसिंह पुत्र उदयसिंह गुर्जर उम्र 37 साल
निवासी सुकाण्ड आरोली थाना गोरमी
3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह गुर्जर उम्र 28 साल
निवासी भूरे का पुरा थाना एण्डोरी
4. रिकू उर्फ रामराज पुत्र शिवसिंह गुर्जर उम्र 26 साल
निवासी निरपतसिंह का पुरा थाना रिठौरा जिला मुरैना
5. बंटी उर्फ बंटी सिंह पुत्र कल्यानसिंह गुर्जर उम्र 32 साल
निवासी सांगोली थाना माता बसैया जिला मुरैना म0प्र0
6. कृष्णा उर्फ किशनसिंह उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र भारतसिंह
गुर्जर उम्र 24 साल निवासी गोहद चौराहा

-----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपी महावीर द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता
आरोपी कृष्णा उर्फ किशनसिंह द्वारा श्री के0के0 शुक्ला एड0
आरोपी रिकू उर्फ रामराज, बंटी एवं कृपाल द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता
आरोपी जोगेन्द्र द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 01 जून-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 395 सहपठित धारा-398 विकल्प में
धारा-395 सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है
कि उन्होंने दिनांक 17.12.09 को शाम सात बजे म0प्र0ड0प्र0क्षे0 अधिनियम की
धारा-3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित जिला भिण्ड थाना

मौ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चम्हेडी में मौ ग्वालियर राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय की मध्य रात्रि में उसने तथा पांच अन्य सह अपराधीगण महावीर, कृपालसिंह, जोगेन्द्रसिंह, बंटी, कृष्णा उर्फ किशनसिंह ने संयुक्त रूप से सत्यभानसिंह गुर्जर के आधिपत्य से ट्रैक्टर पंजीयन क्रमांक-यू0पी0-84 बी-7993 और मोबाईल फोन नोकिया 1203 योग 2,50,000/- की लूट करते हुए डकैती की और डकैती के उक्त अपराध के अनुक्रम में डकैती में सम्मिलित वह स्वयं और सह अपराधीगण आग्नेयास्त्र कट्टा से सज्जित रहे।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी सत्यभानसिंह ने थाना मौ पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह गोहद चौराहा का रहने वाला है। दिनांक 07.12.09 को वह सेवढा खदान से ट्रैक्टरट्रॉली में रेत भरकर गोहद आ रहा था। शाम सात बजे के लगभग झांकरी निकलने के बाद पुलिया के पास चार लोग आये और ट्रैक्टरट्रॉली में चढ़ गये। जिनमें से दो उसके पास सीट पर आकर बैठ गये और उस पर कट्टा अड़ाकर ट्रैक्टर रुकवा लिया और उसे खींचकर पास के खेत में ले गये। तथा दो ने उसके हाथ पैर बांध दिये और कट्टा अड़ाकर रोके रखा तथा जेब में से सौ रुपये व मोबाईल छीन लिया। दो बदमाश ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग कर वहीं छोड़कर ट्रैक्टर स्वराज लेकर भाग गये। उसके बाद दो बदमाश उसे वहीं बैठा छोड़कर आने की कहकर चले गये। करीब आधा घण्टे तक बदमाशों के न आने पर उसने अपने हाथ पैर खोलकर भयभीत अवस्था में गोहद घर पहुंचकर पूरी बात घरवालों को बताई। घटना सुनकर उसकी माँ की तबियत खराब हो गई फिर वह उनके इलाज में व्यस्त रहा। इसलिये उस समय रिपोर्ट को नहीं आ सका। बदमाशों की हुलिया उम्र सभी के 20 से 25 के बीच जिसमें एक बदमाश सामान्य कद काठी का काले रंग का ठिगना, दूसरा काले रंग का मध्यम कद, कान में बाली पहने था। शेष बदमाश ट्रैक्टर लेकर भाग गये जिन्हें अंधेरा होने से नहीं देख सका। वह अपना ट्रैक्टर व मोबाईल सामने आने पर पहचान लेगा।
4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मौ को करने पर अप0क्र0-211/09 पर धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा असल अपराध थाना गोहद क्षेत्रान्तर्गत का होने से थाना गोहद असल कायमी की एवं जप्ती गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं कथन आदि की संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 395 सहपठित धारा-398 विकल्प में धारा-395 सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में भूरासिंह का परीक्षण ब0सा0-1 के रूप में कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.12.09 को शाम सात बजे अधिसूचित डकैती प्रभावित क्षेत्र ग्राम चम्हेडी थाना मौ में मौ ग्वालियर राजमार्ग पर आरोपीगण लूट डकैती के लिये संयुक्त रूप से एकत्रित थे?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व फरियादी सत्यभानसिंह गुर्जर के आधिपत्य से ट्रैक्टर क्रमांक-यू0पी0-84 बी-7993 एवं उसका मोबाईल फोन नौकिया 1203 की डकैती करते हुए संयुक्त रूप से लूट कारित की?
3. क्या आरोपीगण उक्त सुसंगत घटना में आग्नेय शस्त्र कट्टा आदि से सुसज्जित भी थे? यदि हाँ तो दण्ड?

—::—निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 का निराकरण

7. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से रामवीर अ0सा0-1, देवेन्द्र अ0सा0-5 प्र0पी0-1 लगायत 8 के दस्तावेजों के पंच साक्षी थे। जिनमें से देवेन्द्र अ0सा0-5 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-1 लगायत 8 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से उसे पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी कोई सकारात्मक साक्ष्य अभियोजन के पक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने प्र0पी0-1 लगायत 8 के दस्तावेजों पर केवल अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं किन्तु इस बात से उसने स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी महावीरसिंह, जोगेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया गया और प्र0पी0-4 व 5 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी महावीर ने पुलिस को लूटे गये स्वराज ट्रैक्टर की बरामदगी के संबंध में इस आशय की जानकारी उपलब्ध कराई थी कि उसके गैराज में ट्रैक्टर रखा हुआ है जिसका प्र0पी0-6 का मेमोरेण्डम धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत बनाया गया। इस बात से भी साक्षी ने इन्कार किया है कि आरोपी जोगेन्द्रसिंह ने ट्रैक्टर, मोबाईल को आपस में बांट लेना तथा मोबाईल और ट्रैक्टर की बरामदगी कराने की कोई जानकारी दी गई थी। जिसका प्र0पी0-7 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन तैयार किया गया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी कृपाल ने भी उसके सामने पुलिस को ट्रैक्टर व रुपये खर्च करने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध कराई थी जिसका प्र0पी0-8 का मेमोरेण्डम कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत तैयार हुआ। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी महावीरसिंह से प्र0पी0-1 के जप्ती पत्रक मुताबिक स्वराज ट्रैक्टर की उसके सामने जप्ती हुई तथा आरोपी कृपाल से नौकिया मोबाईल की प्र0पी0-2 मुताबिक जप्ती हुई। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि प्र0पी0-1 लगायत 8 की कार्यवाही उसके

समक्ष हुई और पुलिस द्वारा की गई और उससे सहमत होते हुए उसने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किये थे।

9. इस साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि वह आरोपीगण को बचाना चाहता है बल्कि पैरा-6 में उसने पुलिस के द्वारा कोरे कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करा लेना कहा है कि उसके सामने न तो किसी को गिरफ्तार किया गया न ही कोई पूछताछ की गई न ही कोई जप्ती हुई। इस तरह से प्र0पी0-1 लगायत 8 के दस्तावेजों के संबंध में अ0सा0-5 के द्वारा लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है और उसके अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य भी परिलक्षित नहीं हुआ है कि जिससे उसका आरोपीगण को बचाने के आशय से न्यायालय में असत्य साक्ष्य दिया जाना स्थापित होता हो। इसलिये अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से अभियोजन के विचारधीन मामले में विरचित आरोपों के प्रमाण में कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।
10. दूसरा पंच साक्षी रामवीर अ0सा0-1 फरियादी सत्यभान का सगा भाई है। इसलिये प्र0पी0-1 लगायत 8 की कार्यवाही के संबंध में उसके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि वह हितबद्ध साक्षी की हैसियत रखता है और बचाव पक्ष की ओर से जो उनके विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा मौखिक और आरोपी जोगेन्द्र सिंह की ओरसे लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं उनमें भी यही आधार लिये गये हैं कि रामवीर फरियादी सत्यभान का सगा भाई होकर हितबद्ध है और उसकी हैसियत अनुश्रुत साक्षी की है तथा घटना की एफ0आई0आर0 विलंबित है और उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फरियादी सत्यवीर आरोपी जोगेन्द्र को पहने से जानना बताता है किन्तु रिपोर्ट अज्ञात में है। यदि पहले से जानता होता तो नामजद रिपोर्ट की जाती। कथानक में चार अभियुक्तों को बताया गया है, जबकि छः आरोपी अभियोजित किये गये हैं। इसलिये अ0सा0-1 व 2 की साक्ष्य हितबद्ध एवं विरोधाभाषों के चलते विश्वसनीय नहीं है। स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित नहीं है और विवेचक औपचारिक साक्षी है। तथा विरोधाभाषों के संबंध में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साक्षियों के कथनों में आपस में भी गंभीर स्वरूप के विरोधाभाष आये हैं जो कि घटना को संदिग्ध बनाते हैं। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि लूट की घटना क्षणिक होती है और ऐसे में अभियुक्तों की उस समय पहचान करना संभव नहीं होता है। घटना रात्रि के समय की है इसलिये नामजद रिपोर्ट न होने से घटना संदिग्ध नहीं होगी और रामवीर व सत्यभान सगे भाई अवश्य हैं किन्तु रिश्ते के आधार पर उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है। लूट जैसी घटनाओं में स्वतंत्र साक्ष्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में भी घटना संदिग्ध नहीं हो सकती है इसलिये लूट की घटना प्रमाणित मानी जावे।
11. रामवीर अ0सा0-1 व सत्यभान अ0सा0-2 आपस में सगे भाई होकर हितबद्ध साक्षी की हैसियत रखते हैं किन्तु किसी भी साक्षी पर रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत दयाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2004 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-524 एवं स्वर्णसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ पंजाब (1976) 4 एस0सी0सी0 पेज-369 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। रामवीर अ0सा0-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण की पहचान करते हुए कथन

दिनांक 14 जुलाई 2015 को यह बताया गया है कि करीब चार पांच साल पूर्व उसके भाई सत्यभानसिंह ने उसे फोन से यह बताया था कि दो लडके उसका रास्ता रोककर कट्टे की नोक पर ट्रैक्टर छीनकर ले गये हैं तथा ट्रॉली वहीं छोड़कर व उसे बांधकर छोड़ गये हैं। उसके भाई सत्यभानसिंह का फोन भी छीनकर ले जाना भी बताया। ट्रैक्टर व फोन छीनने वाले लडकों के नाम रिकू व जोगेन्द्र हैं। घटना के संबंध में उसने अपने भाई के साथ चौकी झांकरी जाकर घटना की रिपोर्ट करवाई थी। साक्षी का यह भी कहना है कि पुलिस ने उसके भाई सत्यभानसिंह से लूटे गये फोन को ट्रैस किया तो जोगेन्द्र के पास लोकेशन पाई गई थी। उसके बाद पुलिस ने जोगेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया था और अनुसंधान में पुलिस जोगेन्द्र को लेकर मुजफ्फरनगर गई थी जहाँ से लूटा गया ट्रैक्टर जप्त किया था जिसका पुलिस ने प्र0पी0-1 का जप्ती पत्रक उसके सामने बनाया था। पैरा-5 में उसने ट्रैक्टर अपने सामने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पुलिस के द्वारा जप्त करना कहा है और यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपने भाई सत्यभानसिंह के साथ नहीं था। उसे सत्यभान ने फोन पर घटना बताई थी। वैसे ही वह बता रहा है। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी जोगेन्द्र को वह समाज के नाते एवं गोहद चौराहा पर रहने के कारण पहले से जानता है। लेकिन इसी कारण जोगेन्द्रसिंह को झूठा फंसाये जाने से वह इन्कार करता है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से प्र0पी0-3 लगायत 8 के दस्तावेजों के संबंध में पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं

12. प्र0पी0-1 के संबंध में इस तरह से रामवीर अ0सा0-1 के मुताबिक ट्रैक्टर जोगेन्द्रसिंह से मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश से जप्त करके लाया जाना बताया गया है जबकि प्र0पी0-1 के जप्ती पत्रक के मुताबिक स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर नीले रंग का जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर-यू0पी0-बी-7993 था उसे आरोपी महावीर से उसके गोरमी स्थित गैराज से जप्त करना बताया गया है जैसा कि जप्तीकर्ता अधिकारी विवेचक उपनिरीक्षक आर0बी0एस0 वैस अ0सा0-3 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-4 में बताया है। जिससे यह प्रकट होता है कि कथानक मुताबिक जब ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर यू0पी0 से जोगेन्द्र को साथ ले जाकर उसके कब्जे से बरामद नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्र0पी0-1 के संदर्भ में फरियादी सत्यभान के सगे भाई रामवीर अ0सा0-1 का अभिसाक्ष्य अभियोजन के कथानक के विपरीत होकर विश्वसनीय नहीं रह जाता है। अर्थात् प्र0पी0-1 के संबंध में अभियोजन का कथानक और साक्षी रामवीर के अभिसाक्ष्य में तात्विक स्वरूप के गंभीर विरोधाभास हैं जिससे ट्रैक्टर की जप्ती की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है। ट्रैक्टर की प्र0पी0-1 मुताबिक जप्ती महावीर से गोरमी से होने के संबंध में अभिलेख पर विवेचक आर0बी0एस0 वैस अ0सा0-3 के अभिसाक्ष्य का कोई समर्थन नहीं है तथा प्रकरण में गोरमी जाने संबंधी कोई रोजनामचासान्हा भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिये प्र0पी0-1 का जप्ती पत्रक संदिग्ध हो जाता है और विवेचक के अभिसाक्ष्य से भी उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि प्र0पी0-1 के कॉलम नंबर-5 में आरोपी महावीर भदौरिया का पता ग्राम खेरिया हाल गोरमी अंकित है। ऐसा कोई नोट भी जप्ती पत्रक में अंकित नहीं है कि महावीर का निवास ग्राम खेरिया में न होकर गोरमी कस्बे में हो और गोरमी में कहाँ उसका गैराज है। इसके बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं है तथा कोई भी स्थानीय व्यक्ति साक्षी नहीं है। दोनों साक्षी देवेन्द्रसिंह और रामवीर गोहद

चौराहा से ले जाये जाना बताये गये हैं। किन्तु देवेन्द्र ने तो पूरी तरह से इन्कार किया है और रामवीर अ0सा0-1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में गोरमी जाने का कोई समर्थन नहीं किया है बल्कि वह तो मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश जाने और वहाँ से ट्रैक्टर की बरामदगी जोगेन्द्र से होना कहता है। जो कि संदेह उत्पन्न करती है।

13. रामवीर अ0सा0-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी जोगेन्द्र से ही नोकिया कंपनी का मोबाईल जप्त करना बताते हुए उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताये हैं। किन्तु मोबाईल कहाँ जप्त हुआ था इसके बारे में उसके अभिसाक्ष्य में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। न ही पक्ष विरोधी घोषित करने के बाद भी अभियोजन की ओर से प्र0पी0-1 व 2 के संबंध में कोई सूचक प्रश्न इस आशय के पूछे गये हैं कि प्र0पी0-1 का जप्ती पत्रक गोरमी में आरोपी महावीर के गैराज पर तैयार किया गया और वहाँ से ही ट्रैक्टर जप्त हुआ तथा मोबाईल भी जोगेन्द्र के बजाय कृपाल से उसके ग्राम सुकाण्ड में उसके घर से जप्त हुआ। इसलिये प्र0पी0-2 के संबंध में भी अ0सा0-1 का अभिसाक्ष्य अभियोजन के कथानक से भिन्न है। मोबाईल फोन प्र0पी0-2 के मुताबिक आरोपी कृपाल गुर्जर से उसके पेश करने पर उसके ग्राम सुकाण्ड आरोली से जप्त करना बताया है जिसका मॉडल नंबर- 1203 नोकिया कंपनी का जिसका ई0एम0ई0आई0 नंबर-353218035704239 था, को प्र0पी0-2 के संबंध में भी विवेचक आर0बी0एस0 वैस के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि उसने आरोपी कृपाल के पेश करने पर एक मोबाईल उसके मकान से जप्त कर प्र0पी0-2 का जप्ती पत्रक बनाया था। प्र0पी0-2 के जप्ती पत्रक के अवलोकन से अ0सा0-1 का उसके बाबत कोई समर्थन नहीं है। इसलिये अ0सा0-1 की अभिसाक्ष्य प्र0पी0-1 व 2 के जप्ती पत्रकों के संबंध में पूरी तरह से अभियोजन के प्रतिकूल होकर कर्तई विश्वसनीय नहीं था। हालांकि अभियोजन ने प्र0पी0-1 व 2 के संबंध में उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है। इसीलिये अभियोजन उसके अभिसाक्ष्य से निषेधित है।

14. इस तरह से प्र0पी0-1 व 2 के जप्ती पत्रकों के अनुरूप पंच साक्षियों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और विवेचक के द्वारा प्र0पी0-1 व 2 की कार्यवाही दिनांक 29.12.09 को एक ही दिन में की गई है जबकि दोनों जप्तियों के स्थान भिन्न भिन्न हैं। प्र0पी0-1 की जप्ती शाम करीब 5.15 बजे की और प्र0पी0-2 की जप्ती शाम 6.25 बजे की बताई गई है। दोनों स्थानों में अर्थात् गोरमी एवं सुकाण्ड आरोली के मध्य कितनी दूरी थी, किस साधन से गये, कैसे कार्यवाही की, इस संबंध में आर0बी0एस0 वैस अ0सा0-3 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। रोजनामचासान्हा के पेश न होने से उसकी कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है और विवेचक के अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र0पी0-1 व 2 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है बल्कि जिस तरह से रामवीर अ0सा0-1 की अभिसाक्ष्य आई है, उससे उसकी हितबद्धता झलकती है।

15. रामवीर अ0सा0-1 के द्वारा प्र0पी0-3, 4, 6 व 8 के संबंध में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और इस बात से उसने पक्ष विरोधी होते हुए स्पष्टतः इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी कृपाल व महावीर को गिरफ्तार किया गया था। महावीर के गोरमी स्थित गैराज से ट्रैक्टर को जप्त किया गया था। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि मोबाईल फोन कृपाल से जप्त हुआ तथा इस बात से भी इन्कार किया है कि महावीर का प्र0पी0-6 का

मेमोरेण्डम कथन और कृपाल से प्र0पी0-8 का मेमोरेण्डम कथन उसके सामने पुलिस द्वारा लिया गया था। उसने जोगेन्द्र की प्र0पी0-5 के द्वारा गिरफ्तारी तथा जोगेन्द्र का प्र0पी0-7 का मेमोरेण्डम कथन ट्रैक्टर व मोबाईल की बरामदगी के संबंध में पुलिस द्वारा लिया जाना पैरा-3 में बताया है किन्तु पैरा-4 में उसके द्वारा सभी कागजातों पर कोरे कागजों के रूप में हस्ताक्षर करना, उसके सामने कोई लिखापट्टी न होना स्वीकार करते हुए केवल इतना कहा है कि जोगेन्द्र व रिकू से संबंधित लिखापट्टी करने की बात पुलिस वालों ने उसे बताई थी जिससे यही आशय निकलता है कि उसके सामने उक्त दस्तावेजों की लिखापट्टी नहीं हुई। केवल पुलिस द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है। जबकि उसके इसतरह के अभिसाक्ष्य का घटना की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक आर0बी0एस0 वैसे अ0सा0-3 के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है।

16. कथानक मुताबिक रामवीर को फरियादी सत्यभान के द्वारा घर जाकर घटना के बारे में बताया गया था जैसा कि प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 में उल्लेखित है। इस तरह से रामवीर की स्थिति अनुश्रुत साक्षी की हो जाती है। किन्तु रामवीर के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-1 में फरियादी सत्यभान के द्वारा उसे फोन से घटना के विषय में बताया जाना कहा गया है। जबकि ऐसा कथानक में नहीं है और पैरा-1 मुताबिक उसे सत्यभान के द्वारा फोन दो लड़कों के द्वारा रास्ता रोककर कट्टे की नोक पर ट्रैक्टर छीनकर ले जाना, ट्रॉली वहीं छोड़ जाना और उसे बांधकर चले जाना बताया गया जबकि कथानक मुताबिक फरियादी सत्यभान जब ट्रैक्टर ट्रॉली रेटा लेकर जा रहा था तो चम्हेड़ी पुलिया के पास चार लोगों ने पीछे से उसके ट्रैक्टर पर चढ़कर घटना कारित की जिसमें कट्टा अडाकर ट्रैक्टर को छुड़ा लिया और पास के खेत में उसे ले गये। तथा उसके हाथ पैर बांध दिये। उसकी जेब में रखे सौ रुपये और मोबाईल को भी छुड़ा लिया। कथानक में इस तरह का घटनाक्रम नहीं बताया गया है कि फरियादी सत्यभान को पेड़ से बांधे जाने के बाद बदमाशों के चले जाने के बाद सत्यभान को कोई राहगीर आते हुए दिखा जिसे उसने अपने पास बुलाया हो और फिर उसी राहगीर के मोबाईल से घटना के बारे में घर वालों को जानकारी दी हो और फिर अपने हाथ पैर छुड़ाकर घर जाकर घटना सुनाई हो जबकि ऐसा फरियादी सत्यभान अ0सा0-2 के द्वारा पैरा-2 में बताया गया है जो कि कथानक की विषयवस्तु न होकर एक तरह से घटना का विकास करना परिलक्षित होता है जिससे रामवीर अ0सा0-1 की अभिसाक्ष्य को किसी भी बिन्दु पर विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

17. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रामवीर अ0सा0-1 और फरियादी सत्यभान अ0सा0-2 के मुताबिक आरोपी जोगेन्द्र को वे पहले से जानते थे क्योंकि वह फरियादी के समाज का है और गोहद चौराह पर रहता है जहाँ अ0सा0-1 व 2 का निवासरत रहना भी बताया गया है। आरोपी जोगेन्द्र की ओर से किये गये लिखित व मौखिक तर्कों में उठाया गया यह बिन्दु महत्वपूर्ण है कि यदि जोगेन्द्र बताई गई कथित घटना में शामिल होता तो उसे अ0सा0-1 व 2 के मुताबिक पहले से जानते हुए घटना की रिपोर्ट करते समय जोगेन्द्र का नाम पुलिस को अवश्य बताया जाता। जबकि प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध ही की गई है। ऐसे में जोगेन्द्र के संबंध में अ0सा0-1 व 2 का अभिसाक्ष्य किसी द्वेष भाव के चलते कथानक से परे दिया जाना परिलक्षित होता है और इस

बिन्दु पर बचाव साक्षी भूरासिंह ब0सा0-1 का यह अभिसाक्ष्य कि सत्यभान और रामवीर बिरखडी डांग के पत्थर के पहाड पर पत्थर लेने के लिये ट्रॉली ले जाते थे। जोगेन्द्र भी वहीं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से पत्थर लेने के लिये जाता था। उनके बीच ट्रैक्टर के टकराये जाने पर एक बार विवाद होकर गाली-गलौच भी हो गई थी। इसी कारण से जोगेन्द्र से फरियादी सत्यभान व रामवीर रंजिश रखते हैं जो अवैध वसूली भी करते थे। इस पर जोगेन्द्र ने रोका था और इसी के उपर से उनका विवाद हुआ था।

18. उपरोक्त बचाव साक्षी के द्वारा जो घटना बताई गई है उसके संबंध में कोई भी रिपोर्ट पुलिस में होना या प्रशासकीय अधिकारियों को कोई शिकायत होने से उसने इन्कार किया है तथा बचाव साक्षी ग्राम सुनारी का पुरा थाना एण्डोरी का निवासी है और कृषक है। वह स्वयं डांग पहाड पर पत्थर लेने जाता हो, ऐसा उसने नहीं बताया है इसलिये बचाव साक्षी की बात पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है किन्तु जैसा कि सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहाँ बचाव साक्ष्य पेश की जाती है वहाँ प्रमाण भार अभियोजन के बजाय बचाव पक्ष पर नहीं आता है और अभियोजन पर ही अपने मामले को प्रमाणित करने का भार रहता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **जनरैलसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए 0आई0आर0 1996 एस0सी0 पेज 755** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस मामले में भी अभियोजन पर ही अपने मामले को प्रमाणित करने का भार है और बचाव साक्षी को अवश्य विश्वसनीय नहीं माना गया है किन्तु अ0सा0-1 व अ0सा0-2 की यह स्वीकारोक्ति कि जोगेन्द्र को वह पहले से जानते थे और उसके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट नहीं है। तथा घटना की रिपोर्ट भी पांच दिन विलंब की है। क्योंकि कथानक मुताबिक घटना दिनांक 17.12.09 के शाम सात बजे की बताई गई है और रिपोर्ट दिनांक 24.12.09 को सुबह 10.15 बजे की गई अर्थात् पांच दिन का रिपोर्ट में विलंब है। किन्तु विलंब के बिन्दु पर भी अभियोजन की साक्ष्य सुदृढ़ नहीं है।

19. रामवीर अ0सा0-1 जो कि रिपोर्ट के लिये अपने भाई सत्यभान के साथ जाना बताया गया है। जबकि प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 में रामवीर का रिपोर्ट के लिये साथ जाने का उल्लेख नहीं है और रामवीर ने यह भी नहीं बताया है कि रिपोर्ट को कब गये थे। फरियादी व रिपोर्टकर्ता सत्यभानसिंह अ0सा0-2 के मुताबिक घटना की रिपोर्ट उसने घटना के अगले दिन चौकी झांकरी पर जाकर स्वयं करना बताई है। जैसा कि वह पैरा-3 में कहता है और पैरा-2 में उसके द्वारा यह कहा गया है कि घटना को सुनकर उसकी माताजी की तबियत खराब हो गई थी और उसके घरवालों ने फोन पर उसे घर आने की बात कही थी इसलिये वह मौके से घर गया था और दूसरे दिन रिपोर्ट को गया था। पैरा-5 में माँ की तबियत खराब होने से इलाज में व्यस्त रहना रिपोर्ट में विलंब का कारण बताया है। किन्तु पैरा-9 में उसने यह कहा है कि उसकी माताजी को कोई बीमारी नहीं थी केवल वह घटना सुनकर घबरा गई थी जिसका उसने इलाज कराया था। लेकिन इलाज के पर्व उसके पास नहीं हैं। फरियादी सत्यभान के अभिसाक्ष्य में बताई गई उक्त बात विलंब के बिन्दु पर स्वीकार कर भी ली जावे तो उसके द्वारा एक ही दिन के विलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है जबकि रिपोर्ट पांच दिन विलंब की है और पांच दिन विलंब का कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है। फरियादी का ऐसा भी कहना नहीं रहा है कि वह अपनी माँ

के इलाज में चार पांच दिन तक व्यस्त रहा हो। इस कारण से रिपोर्ट को नहीं गया हो और वह जोगेन्द्र को पहले से ही जानता था उसका नाम भी रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखाया, इसका कोई स्पष्टीकरण उसके द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसे में घटना की रिपोर्ट भी विलंबित है और विलंबित एफ0आई0आर0 होने से भी अभियोजन की घटना संदिग्ध हो जाती है।

20. फरियादी सत्यभानसिंह अ0सा0-2 के मुताबिक घटना में कुल चार लोगों का शामिल होना बताया गया है जबकि किये गये अनुसंधान पश्चात पुलिस द्वारा छः आरोपियों को अभियोजित किया गया है। जिसके संबंध में घटना के विवेचक उपनिरीक्षक आर0बी0एस0 वैस अ0सा0-3 के द्वारा यह बताया गया है कि उसने आरोपी बंटी, कृपाल और जोगेन्द्र को अन्य अभियुक्तों के पूर्व में गिरफ्तार होने पर उनके द्वारा धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत दिये गये मेमोरेण्डम कथनों में नाम बताये जाने पर एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पैरा-11 में उसने यह स्वीकार किया है कि फरियादी सत्यभान एवं साक्षी इन्द्रपाल के द्वारा कथन देते समय उसे आरोपीगण के नाम नहीं बताये गये थे वह हुलिया बताना अवश्य कहता है। जबकि सत्यभान के मुताबिक झांकरी से दो किलोमीटर आगे जब वह अपने ट्रैक्टर क्रमांक-यू0पी0-84 बी-7993 मय ट्रॉली सेवड़ा से रेत खदान से रेत भरकर गोहद चौराहा तरफ अपने मकान पर ला रहा था तब चम्हेडी पुलिया पर दो लोग उसके ट्रैक्टर पर चढ़ गये और कट्टा लगा दिया था व ट्रैक्टर बंद कर दिया और उसको पकड़कर सरसों के खेत में ले गये। वहाँ पर उसके हाथ पैर बांधकर डाल दिये थे तथा आरोपी जोगेन्द्र उसके ट्रैक्टर को ले गया था और ट्रॉली घटनास्थल पर ही छोड़ गया था। कुल चार आरोपी थे जिनमें से दो उसके पास खड़े रहे थे। वे उसका मोबाईल व सौ रुपये छीन ले गये थे। जोगेन्द्र के साथ दूसरा आरोपी भी उसने होना बताया है।

21. इस तरह से कुल चार आरोपीगण ही प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 मुताबिक एवं फरियादी सत्यभान के मुताबिक थे। ऐसे में छः लोगों का अभियोजित किया जाना भी घटना को संदिग्ध बनाता है और सह अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर किसी को अभियोजित नहीं किया जा सकता है। आरोपी बंटी से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है इसलिये भी उसे अभियोजित किये जाने का आधार नहीं बनता है। न्याय दृष्टांत **पप्पू विरुद्ध स्टेट 2000(2) जे0एल0जे0पेज-391** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है। उस सूचना का उपयोग दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तथा न्याय दृष्टांत **लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2009 भाग-1 एम0पी0एच0टी0 पेज-478** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उसे दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो। हस्तगत मामले में स्वयं फरियादी सत्यभानसिंह अ0सा0-2 अपने अभिसाक्ष्य में केवल आरोपी जोगेन्द्र एवं रिकू की शिनाख्त सही करने का अभिसाक्ष्य देता है। अन्य आरोपी बंटी, महावीर, कृपाल की शिनाख्ती करने से वह स्पष्ट तौर पर पैरा-4 में इन्कार करता है। ऐसे में जबकि बंटी, रिकू और जोगेन्द्र जिनसे कि कोई बरामदगी नहीं हुई है, उन्हें अभियोजित किया जाना

संदेहजनक हो जाता है।

22. फरियादी सत्यभान अ0सा0-2 के द्वारा जिस स्थान की घटना बताई गई है जिसका वह अपनी निशादेही पर पुलिस द्वारा प्र0पी0-10 का नक्शामौका तैयार किया जाना कहता है और घटना के विवेचक आर0बी0एस0 वैस अ0सा0-3 ने भी फरियादी की निशादेही पर सर्वप्रथम घटनास्थल का नक्शामौका तैयार करना बताया है। नक्शामौका के संबंध में कोई अन्यथा साक्ष्य नहीं है। नक्शामौका प्र0पी0-10 के अनुसार वह मौ ग्वालियर मौ रोड बताया गया है जो थाना मौ के क्षेत्रान्तर्गत आता है और बताई गई चम्हेडी की पुलिस इस तरह से डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आना उपधारित होगा क्योंकि राजस्व जिला भिण्ड में घटना दिनांक को मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 प्रभावशील था। किन्तु कथानक मुताबिक बताई गई घटना के संबंध में स्वयं फरियादी सत्यभान सिंह अ0सा0-2 का अभिसाक्ष्य कथानक से भिन्न होकर तात्विक विरोधाभाषों और विषंगतियों से परिपूर्ण होने से विश्वसनीय नहीं है।
23. सत्यभानसिंह अ0सा0-2 को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी बंटी, कृपाल और महावीर की शिनाख्ती के बिन्दु पर घोषित किया गया था जिस पर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। और वह इस बात से अवश्य इन्कार करता है कि जोगेन्द्र के अलावा अन्य आरोपीगण से उसका किसी प्रकार से कोई राजीनामा हुआ है जिसकी वजह से वह अन्य अभियुक्तों का घटना में शामिल होने से इन्कार कर रहा है। कथानक मुताबिक वह सेवढा रेत खदान से रेत भरकर ला रहा था किन्तु अनुसंधान के दौरान रेत से संबंधित कोई रॉयल्टी की रसीद या अन्य विधिक दस्तावेज संकलित ही नहीं किया गया है जिससे रेत खदान से रेत भरकर लाने की पुष्टि हो। न ही विवेचना के दौरान फरियादी की रेत भरी हुई ट्रॉली जैसा कि कथानक मुताबिक और स्वयं सत्यभान अ0सा0-2 के मुताबिक मौके पर ही लूट करने वाले निकलकर रह गये थे, उसे प्रमाणित किया है। जो कि रेत लाने की पुष्टि करते। ऐसे में घटनाक्रम की प्रारंभिक स्थिति के बारे में भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। आरोपी रिकू व जोगेन्द्र की फरियादी पहचान करना बताता है जिनसे कोई भी वस्तु बरादम नहीं हुई है। महावीर से ट्रैक्टर और कृपाल से मोबाईल बरामद होना बताया गया है जिनकी शिनाख्ती फरियादी नहीं करता है। यह भी अभियोजन के मामले को दुर्बल बनाता है। ऐसे में प्र0पी0-14 लायात 17 की जो कार्यवाही विवेचक अ0सा0-3 के द्वारा करना बताई गई है जिनके पंच साक्षी विवेचक के ही अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी हैं जो कि उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार भी किया है। उन दस्तावेजों की कार्यवाही से संबंधित भी कोई रोजनामचासान्हा साक्ष्य की विषयवस्तु नहीं बनाया गया है। इसलिये उन्हें भी विवेचक की अभिसाक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
24. जहाँ तक आरोपी जोगेन्द्र और रिकू की शिनाख्ती का प्रश्न है, जैसा कि फरियादी सत्यभान अ0सा0-2 उनकी सही शिनाख्ती करना पैरा-3 में बताता है और पैरा-8 में उसके मुताबिक घटना के समय दिसंबर का महीना होने से अत्यंत ठण्ड थी और घोर अंधेरा था। ट्रैक्टर पर वह अकेला ही था ऐसे में उसका प्र0पी0-9 की रिपोर्ट में दो लोगों को देख पाना और दो लोगों को अंधेरे के कारण नहीं देख पाना जो बताया गया है, जिन दो लोगों को देखा उनमें से वह

जोगेन्द्र को पहल से जानना भी स्वीकार करता है। ऐसे में यदि जोगेन्द्र घटना में शामिल होता तो उसको वह अनुसंधान के दौरान भी पुलिस को बताता। जबकि अनुसंधान के दौरान पुलिस को दिये गये कथन में भी किसी आरोपी का नाम नहीं बताया गया है जबकि विवेचक आर0बी0एस0 वैस अ0सा0-3 ने यह स्वीकार किया है तथा पहचान के संदर्भ में सत्यभान अ0सा0-2 के पैरा-9 में यह बात भी आई है कि चम्हेडी पुलिया के पास चार लोग आये थे जो पीछे से ट्रॉली पर चढ़ गये थे। उनमें से दो को उसने पहचान लिया था लेकिन उनके नाम पुलिस को रिपोर्ट में नहीं लिखवाये थे। क्योंकि उस समय वह उनके नाम नहीं जानता था और न्यायालय में साक्ष्य देने के समय मुख्य परीक्षण में पूछे जाने पर उसे उनके नाम पता चले थे। इससे भी उसका जोगेन्द्र के संबंध में दिया गया अभिसाक्ष्य संदिग्ध हो जाता है क्योंकि जोगेन्द्र को वह पहले से जानता था इसलिये उसका नाम तो उसे पहले से पता है। मुख्य परीक्षण में नामों का पता चलने से यही परिलक्षित होता है कि यदि फरियादी सत्यभान के साथ कोई लूट की घटना घटित हुई है तो उसमें जो लोग शामिल थे, वह सभी अज्ञात थे। उनमें से किसी को वह पहले से नहीं जानता था। ऐसे में जोगेन्द्र के विरुद्ध उसका अभिसाक्ष्य कतई भरोसेयोग्य नहीं रह जाता है। और अन्य के संबंध में तो वह स्वयं ही कथानक का समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में मोबाईल की पहचान करने के संबंध में फरियादी का दिया गया अभिसाक्ष्य और उसके समर्थन में मोबाईल की पहचान कराने वाले ग्राम पंचायत झांकरी के सरपंच हरनारायण सिंह अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य को स्वीकार कर लिये जाने के बावजूद प्र0पी0-11 मुताबिक मोबाईल की शिनाख्ती प्रमाणित मानी जाने से भी आरोपीगण के विरुद्ध विचाराधीन किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अ0सा0-4 ने शिनाख्ती की जिस प्रकार की कार्यवाही की है उससे मोबाईल शिनाख्ती की कार्यवाही नियम व एवं प्रक्रिया का अनुपालन अवश्य किया जाना पाया जाता है किन्तु अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से घटना प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि मोबाईल की जप्ती कृपाल से होने की पुष्टि नहीं होती है। जैसा कि कथानक का आधार है।

25. तत्कालीन तहसीलदार अशोक सैन अ0सा0-6 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 14.03.10 को तहसील भिण्ड की हैसियत से पदस्थ रहते हुए थाना मौ के अप0क0-211/09 के आरोप रिकू उर्फ रामराज, महावीरसिंह, जोगेन्द्रसिंह की शिनाख्ती की कार्यवाही उपजेल भिण्ड में उसके द्वारा समान कद काठी के पन्द्रह अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए किया जाना बताई गई है जिसमें शिनाख्तीकर्ता फरियादी सत्यभान के द्वारा रिकू, महावीर, और जोगेन्द्र तीनों को ही सिर पर हाथ रखकर सही पहचाना गया था जिसका उसने प्र0पी0-12 का शिनाख्ती पंचनामा तैयार करना बताया है। किन्तु प्र0पी0-12 की उक्त कार्यवाही के संबंध में केवल रिकू और जोगेन्द्र की पहचान जेल में करना सत्यभान अ0सा0-2 अवश्य बताता है। महावीर की पहचान करने से वह इन्कार करता है और रिकू व जोगेन्द्र से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा उनका धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन क्रमशः प्र0पी0-7 एवं 15 प्रमाणित नहीं हुए हैं। महावीर से संबंधित मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-6 और जप्ती प्र0पी0-1 की भी प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अलावा उक्त तहसीलदार के द्वारा बंटी और कृपाल की भी उपजेल भिण्ड में ही फरियादी से बारह अन्य समान कद काठी के

व्यक्तियों को शामिल करते हुए शिनाख्ती की कार्यवाही कराना और बंटी व कृपाल की फरियादी सत्यभान द्वारा सिर पर हाथ रखकर सही पहचान करने पर प्र०पी०-13 का शिनाख्ती पंचनामा तैयार करना बताया है जिससे सत्यभान ने पूरी तरह से इन्कार किया है। इसलिये प्र०पी०-13 की शिनाख्ती की कार्यवाही अ०सा०-6 के अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं होती है।

26. जहाँ तक प्र०पी०-12 का संबंध है उसके संबंध में भी विरोधाभासी साक्ष्य है और उसे भी अ०सा०-2 व 6 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। हालांकि शिनाख्ती कराने वाले तहसीलदार अशोक सैन अ०सा०-6 ने पैरा-3 में सभी आरोपियों की एक ही दिन शिनाख्ती की कार्यवाही होने पर अलग-अलग शिनाख्ती पंचनामा तैयार किये जाने के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि शिनाख्ती पंचनामा जिन कागजों पर बनाये गये थे वे छोटे होने के कारण दो शिनाख्ती पत्रक तैयार किये गये थे और दोनों की शिनाख्ती की कार्यवाही में पन्द्रह मिनट का अंतर रहा है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जावे कि जोगेन्द्रसिंह और रिकू की पहचान फरियादी ने की थी तब भी उससे विरचित कोई भी आरोप इसलिये प्रमाणित नहीं हो सकता है कि जोगेन्द्र से ट्रैक्टर की जप्ती हुई है जिसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है और रिकू से तो कोई बरामदगी भी नहीं हुई है उसकी संलिप्तता के संबंध में भी किसी भी साक्षी के अभिसाक्ष्य में संतोषप्रद साक्ष्य नहीं आई है। ऐसी स्थिति में अ०सा०-2 किसी भी बिन्दु पर किसी भी आरोपी के संबंध में विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और विवेचक अ०सा०-3 के अभिसाक्ष्य के आधार पर कोई भी आरोप विधिक दृष्टि से युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है। ऐसे में बचाव पक्ष का मामला संदिग्ध होने का सार रूप में किया गया तर्क स्वीकार योग्य हो जाता है।

27. इस तरह से उपरोक्त समस्त साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है और यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने ही दिनांक 17.12.09 को शाम करीब 7.00 बजे डकैती प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र थाना मौ के अंतर्गत ग्राम चम्हेडी मौ ग्वालियर राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व संयुक्त रूप से फरियादी सत्यभानसिंह गुर्जर के आधिपत्य का ट्रैक्टर क्रमांक-यू०पी०-84बी-7993 एवं उसका नोकिया मोबाईल फोन क्रमांक-1203 जिनकी कुल कीमत 2,50,000/-रुपये थी, उनकी लूट करते हुए पांच से अधिक संख्या में सम्मिलित रहते हुए डकैती कारित की और उसमें आग्नेय शस्त्र कट्टे से सुसज्जित रहते हुए उक्त घटना को अंजाम दिया। परिणामस्वरूप आरोपीगण को भा०द०वि० की धारा-395 सहपठित धारा-398, विकल्प में धारा-395 सहपठित धारा-13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

28. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

29. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर क्रमांक-यू०पी०-84बी-7993 एवं मोबाईल पूर्व से फरियादी सत्यभानसिंह गुर्जर की सुपुर्दगी में है अतः अपील अवधि उपरान्त सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

30. आरोपीगण का धारा-428 दफ़्तर का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

31. निर्णय की एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 01.06.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)